राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
(E mail :DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel. 2227033)

क्रमांकः एफ 61(158)SSAAT/ सा.अके. / 2020–21/9584 दिनांकः 29/09/22

जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा),
समस्त राजस्थान

विषयः– ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों का जिला स्तर पर चयन करने बाबत।

संदर्भः– शासन सचिव महोदय,ग्रामीण विकास विभाग. के आदेश क्रमांक एफ 61(111)SSAAT/ प्रशिक्षण / 2020–21 / 8780 दिनांक 12.07.2022 एवं सोसायटी के आदेश क्रमांक एफ 61(158)SSAAT/ सा.अके. / 2020–21 / 9559 दिनांक 28.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु चयन सबंन्धित विनियम 2020, जिलेवार आवंटित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के पदों की संख्या, विज्ञप्ति का प्रारूप जिले राज्य सरकार के प्रमुख अखबारों में छपवाना आवश्यक तथा आवेदन का प्रारुप संलग्न कर भिजवाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। पूर्व विज्ञप्ति में संशोधन उपरांत नवीन विज्ञप्ति का प्रारूप पुनः संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(संदीप चौहान)
निदेशक (SSAAT)

क्रमांकः एफ 61(158)SSAAT/सा.अके. / 2020–21/9585-89 दिनांकः 29/09/22

1. निजी सचिव, आयुक्त ईजीएस
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक नरेगा एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त
3. उप निदेशक / लेखाधिकारी,(सामाजिक अंकेक्षण एवं प्रशासन) सहायक लेखाधिकारी,समस्त, SSAAT
4. प्रोग्रामर SSAAT को अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

sd
(संदीप चौहान)
निदेशक (SSAAT)

राजस्थान सरकार

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा) (जिला.................)

दिनांक :

क्रमांक :

संशोधित विज्ञप्ति

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में अंकेक्षण कार्यों के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए ग्रामीण विकास विभाग (MoRD), भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा–निर्देश / अनुमोदन अनुसार संविदा मानदेय (मासिक आधारित) पर निर्धारित शर्तो पर एक वर्ष के लिए चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद स्तर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online applications) आमंत्रित किये जाते है :–

1. सेवाओं के लिए मुख्य शर्तो का सारांश :–

क्रं. सं	सेवा का नाम	संख्या	मानदेय	निर्धारित योग्यताऐं			आवेदन की अंतिम तिथि
				शैक्षणिक	तकनीकी / प्रशैक्षणिक	आयु (आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु)	
1.	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP)	जिलों को आवंटित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की संख्या	500 / – प्रति व्यक्ति प्रति दिवस (सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार)	स्नातक	सूचना प्रौद्योगिक / कम्प्यूटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवाये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (RSCIT)	21–64 वर्ष अधिकतम	15.10.2022

2. आवेदन हेतु दिशा निर्देश :–

1. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 आदेश संख्या 2 / 2020 एवं संशोधित आदेश संख्या 10 / 2020 में दिये गये प्रावधानानुसार ऑनलाइन (Online) रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार एवं वेवसाईट पर विज्ञप्ति जारी करके आवेदन पत्र लिये जायेगें।

2. **सभी आवेदको द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) में** समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व सम्बन्धित जिला कार्यालय .... की वेबसाइट ....पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति एवं अन्य आदेशों, दिशा–निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ ले तथा इनमें दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही आवेदन भरे। आवदेक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गयी है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गयी प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जायेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरे क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार भी स्वीकार नहीं किया जायेगा। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रदद कर दिया जायेंगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

F61/...

157 (8)

3. परीक्षा शुल्क – आवेदक द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ सामान्य अभ्यर्थी से 100 रूपये का परीक्षा शुल्क ऑनलाइन अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद कार्यालय .... के बैंक खाता संख्या .... बैंक एवं शाखा का नाम.............................. आईएफसी कोड........................ में ऑनलाइन जमा कराना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति.पिछडा वर्ग के आवेदको परीक्षा शुल्क जमा करवाने से छूट होगी।

4.पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्ते :–

सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 के आदेश क्रमांक एफ61(21)SSAAT/नियमावली/23019/7497–7514 दिनांक 12.03.2020 (आदेश संख्या 2/2020) एवं संशोधित विनियम समसंख्यक आदेश क्रमांक 1805 दिनांक 27.11.2020 (आदेश संख्या 10/2020) की पालना की जावे। संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता आयु, शैक्षणिक,/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं निम्नानुसार है, जिनके लिए सोसायटी के विनियमों में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे।

ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखिल अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक है।

1. शैक्षणिक योग्यता – पुरूष एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उतीर्ण
2. प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता – RSCIT का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा/डिग्री/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
3.आयु – आवेदन की अन्तिम तिथि को आयु 21 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। संसाधन व्यक्ति की 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी।
4.आवेदन सिविल सोसायटी/संगठन से होना चाहिए।
5.आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना परन्तु सेवानिवृत राजकीय कर्मचारी पात्र होगे।
6.आवेदन–कर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिये।

चयन प्रक्रिया :–

1. उपरोक्त सभी आहरताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :–
   (क) उपरोक्त बिन्दु संख्या 4(1)(2) एवं (3) के लिए संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंकतालिकाएं, प्रमाण पत्र।
   (ख) बिन्दु संख्या 4(5) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषण पत्र
   (ग) बिन्दु संख्या 4(6) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
   (घ) बिन्दु संख्या 4(4) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत सिविल सेवी संस्थाओं/सिविल सोसायटी संगठनों/इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण अंकित हो।
2. आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है।
3. आवेदक की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है। अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से तीन गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरूद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जायेगी।
4. लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्ताकों के प्रतिशत एवं उच्चतम प्रशैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्ताकों के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर वरीयता सूची (Merit List) तैयार की जावेगी।

5.आवेदन कर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत (मूल निवास वाली ग्राम पंचायत) का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आंवटित नहीं किया जावेगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण–पत्र आधार माना जावेगा।

6. ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण आदि अन्य योजनाअें के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

7. ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

8. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियो के (संविदा कार्मिको) चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण /रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना करवाई जावेगी।

9.आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय स्तर पर ऑनलाइन प्राप्त किया जावेगा।.

6. <u>ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कराने की अंतिम तिथि :–</u>

ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 01.10.2022 से दिनांक 15.10.2022 की मध्य रात्रि 12 बजे तक सम्बन्धित जिला कार्यक्रम समन्वयक की बेवसाइट पर भरे जायेगें।

7.<u>मेरिट बनाना एवं दस्तावेजों/प्रमाण –पत्रों का सत्यापन :–</u>

1.दस्तावेजों की सत्यता एवं विधि सम्मतता के लिए आवेदक स्वयं उतरदायी होंगे। इनमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता, अपूर्णता या हेराफेरी के लिये आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

2.दस्तावेजों की भौतिक सत्यापन सम्बन्धित चयन समिति द्वारा किया जावेगा और इसके पश्चात् ही अन्तिम वरीयता सूची तैयार की जावेगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसायटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा। भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थिति रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुए कि वे इस कार्य हेतु रूचि नहीं रखते हैं वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

8. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जो संविदा सेवायें लिया जाना प्रस्तावित हैं, वे पूर्णतः अस्थायी तौर पर ली जा रही है। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा में लिये जाने बाबत् कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जावेगा। मासिक संविदा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से केवल एक वर्ष का अनुबन्ध किया जावेगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरांत पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जावेगी वरन् सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रताधारी/ संतोषप्रद कार्य सम्पादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिए नवीन अनुबंध ही किया जावेगा। चयनित व्यक्ति को 100 रू के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र भरना होगा कि वे राजकीय सेवा के लिये अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे क्योंकि ये सेवायें पूर्णतः अस्थायी एवं मासिक संविदा आधारित है।

9. कोई भी आवेदक किसी भी राजनैतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चयनित व्यक्ति पूर्णतः निष्पक्षता पूर्वक गैर राजनैतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।

10.उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने, कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकार इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्षा, कार्यकारी समिति (EC) SSAAT को प्राप्त होंगे।

11.विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्यायक्षेत्र केवल संबंधित जिला न्यायालय होंगें।

संलग्न– जिलो को आवंटित ब्लॉक
संसाधन व्यक्तियों की सूची

जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं जिला कलक्टर.
जिला..................